निकाह के मसाइल

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

1

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलामीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन! वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अम्मा बअद

-निकाह-

आयशा रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे ताअल्लुक नहीं (इब्नेमाजा 1846 बुखारी 5063)

दुनिया सामान है और इस दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। (रावी–इब्ने उमर रज़ि. इब्ने माजा 1855)

निकाह के लगवी मानी जमा करना, मिलाना, गांठ बांधना और एक दुसरे में दाख़िल होने के हैं। और शरई मानी "मियां–बीवी के बीच अक़द जिससे वती (सोहबत) करना हलाल होता है।

अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ि. से रिवायत है कि–

नबी सल्ल. ने फरमाया–ऐ नौजवानों की जमाअत! तुम में से जिसे निकाह करने की ताक़त हो, उसे निकाह करना चाहिये क्योंकि निकाह निगाह को बचाने वाला और शर्मगाहं को महफ़ूज़ रखने वाला है और जिसे निकाह की ताक़त (इस्तेताअत) न हो वह रोज़ों का एहतेमाम करे, इसलिए कि रोज़ा उसके लिए ढाल है।

(बुख़ारी 5066 और मुस्लिम 2517)

अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–"औरत से निकाह चार वजहों से किया जाता है।–1. उसके माल की वजह से 2. उसके ख़ानदान की वजह से 3. उसके हुस्न व जमाल की वजह से और 4. उसके दीन की वजह से।"तुम दीन दार को तरजीह दो"।

(बुख़ारी 5090, मुस्लिम 2681, अबु दाऊद, नसई, इब्नेमाजा और तिर्मिज़ी)

नबी सल्ल. ने फ़रमाया–तुम में से जब कोई किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे, अगर मुमकिन हो तो उसे कुछ देख ले। रावी–जाबिर रज़ि.

(मुसनद अहमद और अबुदाऊद 2063–सनद सही है)

नबी सल्ल. ने फ़रमाया– "वली के बग़ैर निकाह नहीं होता"।

(अबुदाऊद 2066, नसई, इब्नेमाजा, तिर्मिज़ी)

(तिर्मिज़ी, इब्ने मदीनी और इब्ने हबान ने सही कहा है।)

नबी सल्ल. ने फ़रमाया–" जिस किसी औरत ने अपने "वली" की इजाज़त के बिना निकाह किया" उसका निकाह बातिल है।(अबुदाऊद 2064)

(तिर्मिज़ी, अबुदाऊद, इब्ने माजा) (सही) मुश्रिका औरतों से निकाह करना मोमिनों पर हराम है (नूर–3)

बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो। (नूर–32)

अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है– फ़रमाया नबी सल्ल. ने कि– बेवा औरत का निकाह उससे सलाह किये बिना और कुंवारी औरत का निकाह उससे इजाज़त लिये बिना न किया जाये। कुंवारी औरत की इजाज़त "उसका ख़ामोश रहना है।"

(बुख़ारी 5136, मुस्लिम 2568)

"तर्जुमा"–" ख़ुत्बा ए निकाह"

रावी–अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि.–

बेशक सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है। हम उसी से मदद तलब करते हैं। उसी से मग्फ़िरत (बख़्शिश) चाहते है। अपने नफ़्स की बुराई से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह

हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। जिसे वह गुमराह करे, उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता।
हम गवाही देते हैं कि "अल्लाह के सिवाए कोई इबादत के लायक़ नहीं और मुहम्मद सल्ल. अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।
ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया फिर उन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिये। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर एक–दूसरे से तुम अपने हक़ मांगते हो और रिश्ते–नाते काटने से (बिगाड़ने से)परहेज करो।यक़ीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरां है। (सूरह निसॉ–आयत 01)
ऐ लोगो! जो ईमान लाये हो, अल्लाह से डरो, जिस तरह अल्लाह से डरने का हक़ है–और तुम्हें मौत न आये मगर इस हाल में की तुम मुसलमान हो।
(आले इम्रान–आयत 102)
ऐ लोगो! जो ईमान लाये हो– (ऐ ईमान वालों) अल्लाह से डरो और बात सीधी–सीधी कहो! (इस तरह) वह तुम्हारे आमाल दुरूस्त कर देगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। जिसने अल्लाह की ओर उसके रसूल की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। (सूरह अहज़ाब–आयत–70–71)
इसे (अहमद, अबु दाऊद 2100, तिर्मिजी,नसई,इब्ने, माजा) ने रिवायत किया है।
जब कोई निकाह करता तो नबी सल्ल. उसे इन लफ्ज़ो में दुआ देते
" बार कल्लाहु ल क व बा र क अलै क व जमाआ बय न कुमा फी ख़ैर" " अल्लाह बरकत अता करे और तुम पर बरकत नाज़िल करे और तुम दोनो को भलाई और ख़ैर पर जमा रखे।"
(तिर्मिजी /अबु दाऊद 2112/नसई/इब्नेमाजा/अहमद)
(तिर्मिजी/इब्ने खुज़ीमा/इब्ने हब्बान ने सही कहा।
इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है– फरमाया नबी सल्ल. ने " अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाते वक्त यह दुआ पढ़े– " बिस्मिल्लाही अल्ला हुम्मा जन्नबना शैतान व जन्निबिशैतान मा रज़क्त ना" अल्लाह के नाम से – ऐ अल्लाह हमे शैतान से दूर रख और शैतान उस से दूर कर दे जो तू हमे औलाद अता करे इस मिलन से उनकी तकदीर में अगर औलाद होगी तो शैतान उसे कभी नुकसान न पहुंचा सकेगा।"
(बुखारी 5165/ मुस्लिम 2609)

"निकाह की फज़ीलत"

1. निकाह इंसान में शर्म और हया पैदा करता है। मुस्लिम–2517
2. निकाह आदमी को बदकारी से बचाता है । मुस्लिम–2518
3. निकाह जिन्सी आलूदगी, जिन्सी हिजान, शैतानी ख़्यालात से बचाता है। मुस्लिम 2518
4. निकाह आपसी मोहब्बत और मुरव्वत का बेहतरीन ज़रिया है। इब्ने माजा –सही
5. निकाह राहत व सुकून हासिल करने का सबब है।–नसई– सही और सूरह रूम आयत 21
6. निकाह से दीन मुकम्मल होता है। बैहकी–हसन
7. निकाह नस्लें इंसानी के बाकी रहने का ज़रिया है। नसई हसन
8. जो बुराई से बचने की नियत से निकाह करे, अल्लाह उसकी मदद करता है। नसई हसन

"मेहर" और उसके मसाइल"

मर्द निकाह के वक्त् जो माल, रक़म या कोई फ़ायदेमन्द चीज़ औरत को दे वह "मेहर" कहलाता है। इसकी कोई कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हद मुक़र्रर नहीं है। बेहतरीन "मैहर" वह है जिसका देना
आसान हो। (अबु दाऊद –2117)
ज़्यादा बा बरकत वह औरतें है– जिनके मेहर कम हों। मुग़नी–H.N.–9
जिन शर्तों को पूरा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वह शर्तें है जिनके साथ तुमने शर्मगाहों को हलाल किया। (मुस्लिम 2567)

अगर कोई शख़्स बिना मेहर तय किये शादी करे तो औरत के लिये "मेहरे मिस्ल" वाजिब होगा।—मुस्लिम

कम या थोड़े मेहर की दलील आप सल्ल. का एक सहाबी से मेहर के ऐवज् (में) लोहे की अंगूठी का मतालबा करना है और फिर वह भी उस सहाबी के पास न होने पर कुरआन की कुछ आयतों को मेहर के बदले बीवी को सिखला देना है (बुख़ारी 5087 मुस्लिम 2578)

अबु दाऊद 2092–93/ मुस्लिम) मेहर ज़्यादा बांधने की दलील अल्लाह तआला का यह फ़रमान कि "अगर तुम बीवियों को खज़ाना दे चुके हो तो वापिस न लो" है।

(निसॉ–आयत–20)

शौहर के लिये बीवी को उसका हक मेहर अदा करना जरूरी है (निसॉ–आयत–24)

औरत अपनी खुशी से सारा या मेहर का कुछ हिस्सा माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकती है। (निसॉ–आयत–4)

"मेहर" निकाह के वक़्त अदा करना या बाद में अदा करना दोनों तरह जाइज् है।

(निकाह से पहले मेहर तय न हुआ हो तो बाद में भी तय किया जा सकता है। निकाह के बाद सुहबत से पहले अगर कोई शख़्स तलाक दे दे और मेहर तय नहीं हुआ था तो उस पर मेहर अदा करना वाजिब नहीं अलबत्ता अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ औरत को देना चाहिये। (बक़र 236)

निकाह के बाद, सुहबत से पहले जबकि मेहर तय हो चुका हो, कोई शख़्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उस पर आधा मेहर अदा करना वाजिब (जरूरी है।) (बक़र 237)

औरतों को उनके मेहर खुशी–खुशी अदा करो। (निसॉ 4/24)

अगर शौहर निकाह के बाद और हम बिस्तरी (मिलने) से पहले फ़ौत हो जाये तो औरत पूरे मेहर की हक़दार होगी। (अबुदाऊद 2095)

"हम बिस्तरी के आदाब"

1. इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया–जब तुम लोगों में से कोई अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो यूं कहे। "अल्लाह के नाम से! या अल्लाह! हमें शैतान से दूर रख और उस से भी शैतान को दूर रख जो तू हमें अता करे। (बुख़ारी 5165/मुस्लिम 2609)
2. नबी सल्ल. ने फ़रमाया–जब कोई हलाल तरीक़े (बीवी) से शहवत पूरी करता है तो उसके लिये सवाब है। (मुस्लिम)
3. जुमेरात में सोहबत करना मुस्तहब है। (तिर्मिज़ी–सही)
4. बच्चे को दुध पिलाने की मुद्दत में हम बिस्तरी करना जायज है। (मुस्लिम)
5. दिन के वक़्त हम बिस्तरी करना जाइज् है। (बुख़ारी)
6. अगर कोई दूसरी बार सोहबत करना चाहे तो (दूसरी)सोहबत से पहले वुज़ु कर (मुस्लिम)
7. हम बिस्तरी के बाद एक दूसरे की राज़ की बातें औरों पर जाहिर करना मना है।

नबी सल्ल. ने फ़रमाया–क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुराह वह शख़्स है जो बीवी के पास जाये और बीवी उसके पास आये और फिर वह अपनी बीवी के राज की बातें लोगों को बतलाए। (मुस्लिम 2617)

नबी सल्ल. ने फ़रमाया–तुम में से हर शख़्स हाकिम है और अपनी रआइयत के बारे में जवाब देह है। मर्द अपने घर वालों पर हाकिम है और औरत अपने ख़ाविन्द के घर और उसकी औलाद पर हाकिम है। (बुख़ारी) इसलिये अपनी–अपनी जिम्मेदारियां निभाना दोनों पर वाजिब है।

" वलीमा"

"वलीमा" का मआनी जमा होने, इकट्ठा होने के हैं। मियां बीवी चूंकि इकट्ठा होते हे इसलिए यह खाना वलीमा कहलाता है।

1. दावते वलीमा करना सुन्नत है। (बुख़ारी/मुस्लिम–2584/2589)
2. दावते वलीमा कुबुल करना वाजिब है। (मुस्लिम–2595/2605)
3. जिस वलीमा में आम आदमियों को न बुलाकर सिर्फ़ ख़ास लोगों को दावत दी जाये तो वह बदतरीन वलीमा है (मुस्लिम–2603)

4. दावते वलीमा कुबुल न करने वाला अल्लाह और उसके रसूल का ना फ़रमान है। (मुस्लिम-2603/बुखारी 5177)
5. रिया, (दिखावा) तकब्बुर, (घमण्ड) और बड़ाई जाहिर करने वाले लोगों की दावत में शिर्कत करना मना है। (अबु दाऊद-सही)
6. क़ाज़ी अयाज़ रह ने इस पर अजमाअ नकल किया है कि वलीमे में कमी-बेश की कोई कैद नहीं बल्कि हस्बे ज़रूरत और हस्बे हैसियत वलीमे का खाना बनाया जा सकता है, वह थोड़ा हो ज़्यादा। (नील अल अवतर J 4P260)
7. यह दावत दुल्हा-दुल्हन के मिलन से पहले या बाद कभी भी की जा सकती है। (अल फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अर बदल J 2 P 33-34
8. दावते वलीमा का मुस्तहिब वक्त चारो फ़िक़्ही मसलकों में निकाह के बाद है।

''निकाह में जाइज़ उमूर (काम)''

1. ईद के महीने में निकाह करना जाइज़ है। (मुस्लिम-2575)
2. निकाह और रुख्सती अलग-अलग करना जाइज़ है। (मुस्लिम/बुखारी 5133)
3. जवानी से कब्ल बेटी का निकाह करना जाइज़ है। (तलाक़ 4/बुख़ारी 5133)

''निकाह से मुताल्लिक वह काम (बातें) जो सुन्नत से साबित नहीं''

1. निकाह से पहले मंगनी की रस्म अदा करना।
2. मंगनी के वक्त लड़के को सोने की अंगूठी पहनाना।
3. मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा करना।
4. (दुल्हन को मेहंदी लगाना जाइज़ है लेकिन उसके लिए इज्तेमाअ करना और गाना-बजाना जाइज़ नहीं।)
5. निकाह से पहले मंगेतर को 'मेहरम' समझना।
6. 32 रूपये हक़ मेहर मुक़र्रर करना या मर्द की हैसियत से बढ़कर हक़ मेहर मुक़र्रर करना।
7. बेटी को घर बनाने के लिए दहेज़ (सामान) मुहैया करना।
8. दहेज का मतालबा करना।
9. दूल्हा को सेहरा बांधना।
10. बारात में कसीर तादाद ले जाना।
11. बारात के साथ बैण्ड-बाजा ले जाना।
12. खुत्बा ए निकाह से पहले लड़की और लड़के को कलम ए शहादत पढ़वाना।
13. निकाह के बाद हाज़िरी ने मजलिस में छुहारे लुटाना।
14. दूल्हा के जूते चुराना और पैसे लेकर वापिस करना।
15. दुल्हन को कुरआन के साये में घर से विदा करना।
16. मुंह दिखाई और गोद भराई की रस्म अदा करना।
17. माइया बैठने की रस्म अदा करना।
18. मुहर्रम और ईद के महीनों में शादी न करना।
19. अपनी हैसियत से बढ़कर दावते वलीमा करना।
20. नाच-गाने का एहतेमाम करना।
21. मर्दों और औरतों की मखलूत महफिलों की तसावीर बनाना।
22. लड़की का कुरआन से निकाह करना।
23. निकाह के वक्त मस्जिद के लिये कुछ रकम वसूल करना।
24. तलाक की नियत से निकाह करना।
25. दौराने हमल निकाह करना।
26. दूसरे निकाह के लिये पहली बीवी से इजाज़त लेना।
27. शादी,मंगनी व बच्चे की पैदाइश वग़ैरह के मौके पर पहनावनी का एहतेमाम करना।
28. घरों के रोशन करना। 29. शादी के मौके पर आतिश-बाजी करना।
30. बारात में उछलना-कूदना या नाचना।
31. मांडा (निकाह से पहले खाना) करना।
32. बिन्दौरा करना। 33. चौथी करना।

"मिसाली (बेहतरीन) शौहर"

1. नबी सल्ल. ने फ़रमाया– तुममे से से बेहतरीन शख़्स वह है जो अपने अहलो अयाल के लिये अच्छा हो। (तिर्मिज़ी/हाकिम–सही)
2. बीवी को न मारने वाला शख़्स बेहतरीन शौहर है। (अबु दाऊद–सही)
3. आज़माईश और मुसीबत में सब्र करने वाला शख़्स बेहतरीन शौहर है। (तिर्मिज़ी–सही)
4. बीवी के मामलात में दर गुज़र करने वाला, नर्मी से काम लेने वाला बीवी के हक़ में खै़र व भलाई की बात कुबुल करने वाला शख़्स बेहतरीन शौहर है। (मुस्लिम)
5. अपने घर वालों (बीवी–बच्चों) पर खुश दिली से ख़र्च करने वाला शख़्स बेहतरीन शौहर है। (तिर्मिज़ी–सही)
6. घर के काम–काज में बीवी का हाथ बंटाने वाला शख़्स बेहतरीन शौहर है। (बुख़ारी)

"मिसाली बीवी"

1. कुंवारी, मीठी बातें करने वाली, (शीरीं गुफ़्तार) खुशमिज़ाज, कनाअत पसन्द (थोड़े पर खुश होने वाली) और ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत बेहतरीन बीवी है। (इब्ने माजा–सही)
2. शौहर की गैर मौजदगी में उसके माल और उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करने वाली बेहतरीन बीवी होती है। (तबरानी–सही)
3. शौहर की इताअत करने वाली वफ़ादार बीवी अच्छी बीवी होती है। (तबरानी–सही)
4. औलाद से मोहब्बत करने वाली और अपने शौहर की तमाम मामलात में अमीन औरत बेहतरीन बीवी है। (मुस्लिम)
5. पांचों नमाज़ों की पाबन्दी करने वाली रमज़ान के रोज़े रखने वाली और पाक दामन औरत बेहतरीन बीवी होती है। (इब्ने हब्बान–सही)
6. शौहर को खुश रखने, उसकी इताअत करने, अपनी जान व माल शौहर पर कुर्बान करने और शौहर की आख़िरत का ख्याल रखने वाली बीवी बेहतरीन बीवी होती है। (नसई–हसन)

"मियां–बीवी के एक–दूसरे पर मुश्तर का हु.कू.क"

मर्दों पर औरतों का वैसा ही हक़ है जैसा मर्दों का हक़ औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को एक दर्जा (फ़ज़ीलत) हासिल है। (बक़र : 228)

मर्द हाकिम और मुहाफ़िज़ हैं औरतों पर इसलिये कि वह अपना माल खर्च करते हैं। (निसा–34) जो नेक बीवियाँ होती है, वह अदब वाली और फ़रमाबर्दार होती है। मर्दों के छिपे भेद और अपनी पाक दामिनी की हिफ़ाज़त करती है। (निसा–34)

1. ख़ैर और नेकी के कामों में एक–दूसरे को ताकीद करना और रग़बत दिलाना दोनों पर वाजिब है। (अबुदाऊद–सही)
2. अज़दवाजी ज़िन्दगी (आपसी रिश्तों) के राज़ किसी पर ज़ाहिर न करना दोनों पर वाजिब है। (मुस्लिम)
3. अपने–अपने दायरे कार में अपनी–अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करना दोनों पर वाजिब है। (बुख़ारी)
4. निकाह घर बसाने की नीयत से हो, मस्ती करने या अय्याशी की गरज़ से नहीं। (निसा–24/माईदा–5)

अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया– जो कोई अल्लाह और आख़ेरत के दिन पर ईमान रखता है, वह अपने हम साये (पड़ोसी) को तकलीफ़ न दे और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत कुबूल करो! बेशक! उनको पसली से पैदा किया गया है और पसली का ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है, लिहाज़ा अगर कोई उसे सीधा करने की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ बैठेगा और अगर उसे उसके हाल पर छोड़ देगा तो वह हमेशा टेढ़ी रहेगी। पस औरतों के हक़ में हमेशा भलाई की वसीयत कुबूल करो/(तोड़ने से मुराद तलाक़ देना है) (बुख़ारी/मुस्लिम–2688/89)

हराम रिश्ते

यानि वह रिश्ते या औरतें जिनसे निकाह करना हराम है। इन हराम रिश्तों की दो किस्मे है:–

(अ) मुस्तकि़ल (हमेशा के लिए) हराम रिश्ते (औरतें)

(ब) आरज़ी (वक्ती) हराम रिश्ते (औरतें)

(अ) मुस्तकि़ल हराम रिश्तों के असबाब तीन है

(1) नसब (खूनी रिश्ता) (2) मुसाहरत (ससूराली रिश्ते) (3) रज़ाअत (दूध पिलाना)

नसब सूरह निसाँ आयत 23 में अल्लाह तआला ने नसब की वजह से सात औरतों को हराम बताया है।

1. **मांऐं:–** मांऐं, दादियां और नानियां (सब शामिल) है।
2. **बेटियां:–** इसमें अपनी हकीकी बेटियां, पोतियां, नवासियां सब शामिल है।
3. **बहनें:–** सगी बहनें, मां की तरफ से सौतेली बहनें, बाप की तरफ से सोतेली बहनें सब शामिल है।
4. **फूफियां:–** सगी और सौतेली सब शामिल है।
5. **खालायें:–** अपनी खाला, वालिद दादा, नाना, मां, दादी, नानी, सब की।
6. **भतीजियां:–** सगे भाई की बेटियां, सौतेले भाई की बेटियां, सब शामिल है।
7. **भांजियां:–** सगी बहिन की बेटियां, सौतेली बहिन की बेटियां सब शामिल है।

मुसाहरत (ससुराल की वजह से हराम रिश्ते)

(अ) सौतेली मांओं से निकाह हराम है। (निसा– आयत 22)

(ब) सगे बेटों की औरते भी तुम पर हराम है। (निसा– 23)

(स) औरतों की मां यानी सास से निकाह हराम है। (निसा–23)

(द) तुम्हारी वह बीवियां जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो उनकी पिछली बेटियां जो तुम्हारी परवरिश मे हो तुम पर हराम है। (निसा–23)

रज़ाअत की वजह से हराम रिश्ते:–

आयशा रजि़. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फरमाया नसब की वजह से जो औरतें हराम हैं वह दूध पिलाने से भी हराम होंगी। (मुस्लिम 2637)

(ब) आरज़ी हराम रिश्ते

1. दो बहनों को सगी हो या सौतेली एक साथ निकाह में जमा करना हराम है। (निसा–23)
2. नबी सल्ल. ने मना किया औरत और उसकी खाला और फूफी को एक निकाह में जमा करने से। (बुखारी–5108)
3. वह औरतें तुम पर हराम हें जो किसी दूसरे के निकाह में हों। (निसा–24)
4. इद्दत के दौरान मुतल्लक़ा या बेवा से निकाह हराम है।
5. तीन तलाकें (जुदा–जुदा मजलिसों में) देने के बाद अपनी मुतल्लक़ा से दोबारा निकाह करना हराम है।
6. पाक दामन मर्द या औरत का ज़ानिया औरत या ज़ानी मर्द से निकाह हराम है। (सुरह नूर–26)
7. मोमिन मर्द का मुशरिक़ा औरत से और मोमिना औरत को मुशरिक़ मर्द से निकाह करना हराम है। (बक़र–221)
8. ऐहराम वाली औरत से उस वक्त तक निकाह करना जाइज़ नहीं जब तक के वह ऐहराम (हज या उमरे के) से अलग ना हो जाऐ। (मुस्लिम 2555)

व सल्ल्ललाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। बिरहमतिका या अरहमरराहेमीन।

व आख़िरू दअ वा ना अनिल हम्दू लिल्लाहि रब्बिल आलामीन।

वास्सलाम!

मुहम्मद सईद

मो.9214836639